न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 128/2022 बउनवानी विनोद मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मित्रपुरा
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना निवासी ग्राम जटलाव पोस्ट गूगडोद तहसील मित्रपुरा
GCMS No-2022/204

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
11.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 30.8.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार मित्रपुरा के कार्यालय को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गयाः– 1. यह है कि आवेदक को मिसल संख्या 7/2011 दिनांक 24.2.2011 की उनवानी प्रकरण धूल्या बनाम रामलाल व अन्य की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति । 2. आवेदक को प्रकरण संख्या 7/2011 उनवान धूल्या बनाम रामलाल व अन्य मे माननीय तहसीलदार बौंली पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश शर्मा द्वारा दिनांक 27.9.2012 को अपील नामा0 संख्या 896 दिनांक 13.12.2004 ग्राम बपूई को फैसला दिनांक 27.9.2012 को किया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा के जवाब नोटिस क्रमांक/भू.अ./2022/49 दिनांक 9.11.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 30.8.2022 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना सूचना का संबंध तहसीलदार बौंली से होने के कारण तहसीलदार मित्रपुरा के पत्रांक 804 दिनांक 20.10.2022 से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बौंली को अन्तरित कर दिया गया है। अतः वांछित सूचना तहसीलदार बौंली के कार्यालय से उपलब्ध करवायी जावे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.8.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 2 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार मित्रपुरा के कार्यालय मे उपलब्ध नही होना बता[illegible]दार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना अपीलान्ट को [illegible] उपलब्ध नही करवाने के लिए अपना स्पष्टीकरण भिजवावे। साथ [illegible] अपीलान्ट को [illegible] दिवस मे निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश [illegible] निस्तार[illegible] जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील द[illegible] अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:39:48 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर